प्रकरण संख्या 46 / 19 2019 / 00192 ता0रजू 22.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

चतुर्भुज चतुर्वेदी पुत्र चिरंजीलाल आयु 55 साल जाति चतुर्वेदी निवासी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पचायत सायपुर तहसील करौली जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली जिला करौली (राज0) – रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी करौली दिनांक 01.07.2019 उनवानी सरकार बनाम श्री चतुर्भुज चतुर्वेदी उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सायपुर तहसील करौली विभागीय प्रकरण संख्या 146 / 11.04.2019 निर्णय दिनांक 01.07.2019

निर्णय

दिनांक 04.09..2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा दिनांक 26.02.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की राशन दुकान की जांच करने पर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड एवं मोबाइल नंबर का प्रदर्शन नहीं करना, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना, मौके पर पोश मशीन नहीं मिलना, मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर गेंहू, चीनी व केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया जाना जबकि कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण एवं थोक विक्रेताओं द्वारा पेश मासिक रिटर्न के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर के पास 17.93 क्विं. गेंहू, 8.57 क्विं. चीनी एवं 5443.5 लीटर केरोसीन स्टॉक में शेष होना चाहिये था, आदि की रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक करौली, प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं अपीलार्थी का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.07.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय रूहेदाद मिसल, खिलाफ कानून, तथ्यों के विपरीत, आरवीट्रेरी होने के कारण हर हाल में खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की झूठी रिपोर्ट पर विश्वास कर भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा झूठी रिपोर्ट पेश कर अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह किया है व मौके के विपरीत रिपोर्ट दी गई है। प्रार्थी पर लगाये गये आरोप खाद्य सुरक्षा सूची चस्पा नहीं करना, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना व चालू माह में वितरण देर से शुरू करना एवं स्पष्ट स्टॉक, मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करना व 17.93 क्विंटल गेंहू, 8. 57 क्विंटल चीनी एवं 5443.5 लीटर केरोसीन का कम वितरण करने के आरोप बिल्कुल निराधार है। सारे आरोप प्रार्थी पर द्वेषता पूर्ण लगाये गये है। फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.02.2019 जो ई.आई. द्वारा तैयार करना बताया है वह मौके पर तैयार नहीं की गई है। कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराके ले गये तथा यह कहा कि पोश मशीन ठीक हो जाने पर आप ले आना उसी के हिसाब से स्टॉक बाबत् रिपोर्ट तैयार कर देंगें किन्तु पोश

जिला कलक्टर
करौली

मशीन ठीक हो जाने पर बताने के बावजूद झूठी रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई है जो गलत है निरस्तनीय है। सन् 2016 से उचित मूल्य की दुकानों पर प्रतिमाह जो भी राशन रसद विभाग द्वारा जारी किया जाता है उसकी प्रविष्ठि पोश मशीन में रसद विभाग द्वारा ही पिछले शेष स्टॉक को देखकर प्रविष्ठि की जाती है। जांच रिपोर्ट में चीनी के स्टॉक बाबत् 01.09.2016 से 26.02.2019 तक जांच व केरोसीन 01.06.2017 से 27.03.2019 तक जांच एवं गेहूं 01.02.2019 से 26.02.2019 तक जांच के बारे में अंकित कर 17.93 क्विंटल गेंहू, 8.57 क्विंटल चीनी तथा 5443.5 लीटर केरोसीन कम वितरण होना बताया गया है। लेकिन 2016 से जांच के वक्त तक इस बाबत कोई नोटिस अपीलार्थी को नही दिया गया जबकि यदि कोई कमी होती तो विभाग नोटिस अवश्य दिया जाता। इस प्रकार यह रिपोर्ट मनमाने तरीके से पेश कर प्राधिकार पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की गई है जो कानून के विपरीत है इसलिये आदेश दिनांक 01.07.2019 निरस्त फरमाये जाने योग्य है। सन् 2016 से ही उचित मूल्य दुकान पर दिये जाने वाले गेंहू, केरोसीन, चीनी की प्रविष्टी पोश मशीन में होती है और आधार कार्ड से उपभोक्ता को मशीन पर अंगूठा लगाने पर वस्तुओं का वितरण होता है। उसमें कोई त्रुटि होने की गुंजाइश नहीं है। पोश मशीन के ठीक होने के बाद उसमें 17.93 क्विटंल गेंहू स्टॉक में होना 1.84 क्विटंल चीनी स्टॉक में मौजूद होना मशीन ने बताया है जो कि अपीलार्थी के पास उपलब्ध थी जिसका अंकन अपीलार्थी द्वारा जवाब में किया गया था। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट दिनांक 11.04.2019 के अनुसार चीनी 8.57 क्विंटल कम होना अंकित किया जो पूर्णतः गलत है क्योंकि पोश मशीन केवल 1.84 क्विंटल चीनी स्टॉक में होना बताती है। इसी प्रकार जांच रिपोर्ट दिनांक 11.04.2019 में केरोसीन 5443.5 लीटर कम वितरण होना बताया गया है किन्तु पोश मशीन में स्टॉक 0 आया है इस तरह इंस्पेक्टर द्वारा पेश रिपोर्ट पूर्णतया मनमानी एवं तथ्यों के विपरीत है और यही रिपोर्ट निर्णय का आधार मानी गई है। जब रिपोर्ट ही गलत है तो निर्णय स्वतः ही तथ्य व विधि के विपरीत है। जिन कमियों के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया है वह तुच्छ प्रकृति की है। इसका अंकन अपीलार्थी ने नोटिस के जवाब में डी.एस.ओ. को भी दिया था लेकिन उन्होने मनमाने तरीके से जवाब को दरकिनार कर निर्णय दिया है। प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा लगाये आरोपो का प्रार्थी ने जवाब पेश किया है व सारे आरोपों को झूठा बताया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की बातों पर विश्वास नहीं कर भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस के दौरान कथन है कि जिला रसद अधिकारी, करौली, प्रवर्तन निरीक्षक, करौली व प्रवर्तन निरीक्षक नादौती के द्वारा अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच दिनांक 26.02.2019 को की गई जिसमें अपीलार्थी की दुकान के बाहर उचित मूल्य दुकान का बोर्ड, मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन का बोर्ड लगा हुआ नहीं पाया। अपीलार्थी डीलर की उपस्थिति में अपीलार्थी की राशन दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में गेंहूं, चीनी व केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया। अपीलार्थी द्वारा पोस मशीन उपलब्ध नहीं करवायी जिसके बारे में बताया कि पोश मशीन खराब है जिसे सही करवाने हेतु पुत्र ऑफिस गया है। फर्द मौका पर स्वयं अपीलार्थी राशन डीलर के हस्ताक्षर हैं। अपीलार्थी की दुकान की कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण तथा थोक विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक वितरण रिपोर्ट के आधार पर ऑडिट करने पर पाया कि अपीलार्थी डीलर के पास दिनांक 01.02.2019 से दिनांक 26.02.2019 वक्त जाच तक पूर्व स्टॉक 28.73 क्विं. गेंहूं एवं 70.00 क्विं. गेंहूं की आमद कुल 98.73 क्विं. गेंहूं में से 80.80 क्विं. गेंहूं के वितरण के बाद 17.93 क्विं. गेंहूं होना चाहिये था जबकि स्टॉक में 00(शून्य) क्विं. गेंहूं पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.01.2018 को प्रारम्भिक स्टॉक 1.5 क्विं. चीनी सहित दिनांक 01.01.2018 से वक्त जांच तक आमद 8 क्विं. चीनी सहित कुल 9.5 क्विं. चीनी में से 0.93 क्विं. चीनी के वितरण के बाद 8.57 क्विं. चीनी स्टॉक में होनी चाहिये थी जो

जिला कलक्टर
करौली

स्टॉक में 00(शून्य) क्विं. पाई गई। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 को प्रारंभिक स्टॉक 0 लीटर केरोसीन सहित वक्त जांच तक आमद 8950 लीटर केरोसीन में से 3506.5 लीटर केरोसीन के वितरण के बाद 5443.5 लीटर केरोसीन अपीलार्थी की राशन दुकान में स्टॉक में होना चाहिये था जो 00(शून्य) लीटर पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन दुकानदार द्वारा 17.93 क्विं. गेंहूं, 8.57 क्विं. चीनी एवं 5443.5 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग किया गया है जिसके कारण अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था जिसके जवाब में अपीलार्थी द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया था जो संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो विधि सम्मत् है। अंत में अपील, अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की उपस्थिति में दिनांक 26.02.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई थी जिसका भौतिक सत्यापन पर स्टॉक में गेंहूं, केरोसीन व चीनी का स्टॉक 00(शून्य) पाया गया था जबकि कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण तथा थोक विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक वितरण रिपोर्ट के आधार पर की गई ऑडिट के अनुसार वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर 17.93 क्विं. गेंहूं, 8.57 क्विं. चीनी एवं 5443.5 लीटर केरोसीन उपलब्ध होना चाहिये था जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया जाना विदित होता है जो गंभीर अनियमितता है। अपीलार्थी को सुनवाई बाबत् जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा उचित अवसर भी दिया गया था जिसमें अपीलार्थी द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया था जो संतोषजनक नहीं था। दुकान के बाहर मूल्य सूची व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड का नहीं पाया जाना, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना, खाद्य सुरक्षा की सूची मौके पर चस्पा नहीं मिलना आदि से उपभोक्ताओं को वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता है जिससे राशन सामग्री के दुरुपयोग की संभावना एवं उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का समय पर वितरण नहीं करना, राशन सामग्री हेतु परेशान करना अथवा राशन सामग्री नहीं देने की संभावनाएं भी प्रबल हो जाती हैं जो गंभीर अनियमितताएं हैं। अतः हम प्रत्यर्थी के कथनों से सहमत हैं एवं अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.07.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली